3/2022/|/130294/2022-71-2099/514/2020

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 07 जनवरी, 2022

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्थान के एकेडमिक ब्लाक के तीनों बेसमेन्ट, ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेण्ड फ्लोर में फर्नीचर तथा लेक्चर थियेटर्स में वीडियो प्रोजेक्शन एवं प्रजेन्टेशन सिस्टम हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3695/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2021, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में संस्थान के एकेडमिक ब्लाक के तीनों बेसमेन्ट, ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेण्ड फ्लोर में फर्नीचर तथा लेक्चर थियेटर्स में वीडियो प्रोजेक्शन एवं प्रजेन्टेशन सिस्टम हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित लागत शासनादेश संख्या-46/2017/1028/71-2-17-आर0एम0-25/2016, दिनांक 31-03-2017 द्वारा रू0 1288.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए शासनादेश संख्या-49/2017/1494/71-2-17-आर0एम0-25/2016, दिनांक 03-07-2017 द्वारा 515.35 लाख एवं शासनादेश संख्या-73/2017/4024/71-2-17-आर0एम0-25/2016, दिनांक 02-11-2017 द्वारा रू0 515.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से रू0 1030.70 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के एकेडमिक ब्लाक के तीनों बेसमेन्ट, ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेण्ड फ्लोर में फर्नीचर तथा लेक्चर थियेटर्स में वीडियो प्रोजेक्शन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एवं प्रजेन्टेशन सिस्टम हेतु प्रावधानित अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) से रू0 152.47 लाख तथा अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) से रू0 40.53 लाख अर्थात कुल रू0 193.00 लाख (रूपये एक करोड. तिरानवे लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) निदेशक संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का व्यय संतोषजनक रूप से कर लिया गया है एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कार्य कराया गया है।

(2) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) लागत में परिवर्तन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत था और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

(9) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/ संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिडयूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, संस्थान द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

(11) बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

(12) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर के खाते में नहीं रखा जायेगा। सम्बन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।

(13) कार्यदायी संस्था को 02 माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। संस्थान के वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि को कोषागार से आहरण 02-02 माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाए।

(14) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की समस्त जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक की होगी।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) वित्तीय वर्ष 2021-2022 में निर्माण कार्यो के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' से रू0 152.47 लाख तथा अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-28-डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' से रू0 40.53 लाख, के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
5) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6) वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
8) अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0
9) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।